23

[2022] 4 एस. सी. आर 23

क.

मीना देवी

वी.

उत्तर प्रदेश और एक अन्य राज्य (2022 की आपराधिक अपील संख्या 808) 13 मई, 2022

[डॉ**.** डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़ और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 439-कब-कब-कब

अभियुक्त को जमानत की राहत।हालाँकि, जहाँ भी यह देखा जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग उचित विवेक के बिना या इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन में किया गया है, ऐसा आदेश हस्तक्षेप के लिए अतिसंवेदनशील होगा।**[**पैरा **17] [33-**डी**-**ई**]**

1.3 जमानत देने के आदेश की शुद्धता की जांच करने के लिए बुलाए जाने पर अपीलीय अदालत के साथ विचार करने वाले विचार जमानत रद्द करने के लिए दायर आवेदन की जांच करने के लिए समान आधार पर नहीं हैं।जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता की जांच करने का पैमाना यह है कि क्या निचली अदालत ने अनुचित या मनमाने तरीके से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है जिससे उक्त आदेश दूषित हो गया है।जब जमानत रद्द करने की मांग करने वाले आवेदन का आकलन करने की बात आती है, तो अपीलीय अदालत अन्य बातों के अलावा, पर्यवेक्षण परिस्थितियों या उस व्यक्ति पर लगाए गए जमानत की शर्तों के किसी भी उल्लंघन पर ध्यान देती है जिसे ऐसी राहत दी गई है।**[**पैरा **21] [36-**सी**-**डी**]**

ग

डी.

1.4 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश पर एक नज़र डालते हुए कम से कम, गूढ़ और गैर**-**बोलने वाले, मन के गैर**-**अनुप्रयोग को प्रदर्शित करना है।ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने आम दलीलों पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं कि प्रतिवादी संख्या **2** एक कठोर अपराधी है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।अभियुक्त के खिलाफ दर्ज मामलों की सूची से पता चलता है कि उसने आई**.** पी**.** सी**.,** शस्त्र अधिनियम**, 1959,** उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ **(**रोकथाम**)** अधिनियम**, 1986,** यू**.** पी**.** गुंडा नियंत्रण अधिनियम**, 1970,** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति **(**अत्याचार निवारण**)** अधिनियम**, 1989,** आदि के तहत दर्ज सैंतीस मामलों में मुकदमे का सामना किया है/अभी भी कर रहा है, जहां अपराध गंभीर प्रकृति के हैं।**[**पैरा **24] [39-**डी**-**एफ**]**

ई.

च

1.5 पिछले दशक में, प्रतिवादी संख्या **2** के खिलाफ छह और मामले दर्ज किए गए हैं, प्रतिवादी संख्या **1** द्वारा इस न्यायालय को दी गई सूची में उन ग्यारह मामलों का उल्लेख नहीं है जिनका उल्लेख प्रतिवादी संख्या **2** के खिलाफ लंबित मामलों की सूची में किया गया था।**2.**यदि उक्त मामलों को अभियुक्त के खिलाफ दर्ज सैंतीस आपराधिक मामलों की वर्तमान सूची में जोड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या बढ़कर पचास हो जाएगी।**[**पैरा **27] [42-**जी**-**एच**; 43-**ए**]** ए

जी.

एच.

25

मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य ए

1.6 उच्च न्यायालय प्रतिवादी संख्या **2** को जमानत पर बढ़ाने का आदेश पारित करने से पहले प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने में विफल रहा।उच्च न्यायालय ने उक्त प्रतिवादी के पक्ष में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई अच्छा, बुरा या उदासीन कारण नहीं देने में भी गंभीर गलती की।ऐसा कोई विशेष तत्व नहीं है जिसने उच्च न्यायालय को प्रतिवादी संख्या **2** को जमानत देने वाले विवादित आदेश को पारित करने के लिए राजी किया हो।अभियुक्त और शिकायतकर्ता के वकील द्वारा की गई दलीलों को यंत्रवत रूप से दर्ज करना और राज्य के वकील के विरोध को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद "उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए" शब्दों के साथ आदेश के संचालन पैरा को पूर्व**-**निर्धारित करके प्रतिवादी संख्या **2** को जमानत पर रिहा करने के लिए आगे बढ़ना, शायद ही अदालत द्वारा न्यायिक दिमाग के आवेदन को प्रतिबिंबित कर सकता है।एक अपीलीय न्यायालय के रूप में, यह न्यायालय जमानत पर प्रत्यर्थी संख्या **2** को बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय के साथ वजन बढ़ाने वाले कारकों को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार है।**[**पैरा **28] [43-**बी**-**डी**]<unk><unk> 1.7<unk><unk>**

प्रतिवादी सं**. 2** द्वारा आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **302** के तहत किए गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए**,** जिसके लिए उसे निचली अदालत ने दोषी ठहराया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और यह देखते हुए कि उसके द्वारा की गई हिरासत की अवधि केवल नौ महीने के लिए है और इसके अलावा**,** उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए**,** उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है।प्रत्यर्थी संख्या **2** के जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं और उसे तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।**[**पैरा **32] [44-**जी**-**एच**; 45-**ए**]**

ग

डी.

ई.

राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य

(2002) 3 एससीसी 598:[2002] 2 एस. सी. आर. 526; महिपाल बनाम.

राजेश कुमार उर्फ पोलिया एंड अदर **(2020) 2** एससीसी

च

118 :[2019] 14 एससीआर 529; प्रशांत कुमार सरकार बनाम।

आशीष चटर्जी और एक अन्य **(2010) 14** एससीसी **496:[2010] 12** एस**.** सी**.** आर**. 1165;** कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव और दूसरा **(2004) 7** एस**.** सी**.** सी**. 528;** नरेंद्र के**.** अमीन **(**डॉ**.)** बनाम गुजरात राज्य और

एक और (2008) 13 एस. सी. सी. 584:[2008] 6 एससीआर 1149;

जी.

दीपक शुभाशचंद्र मेहता बनाम केंद्रीय ब्यूरो

जाँच और एक और (2012) 4 एस. सी. सी. 134:[2012]

3 एस**.** सी**.** आर**. 278;** अब्दुल बासित उर्फ राजू और अन्य बनाम मोहम्मद।अब्दुल कादिर चौधरी और एक अन्य **(2014) 10** एससीसी

एच.

754 :[2014] 10 एस**.** सी**.** आर**. 571;** नीरू यादव बनाम उत्तर राज्य

प्रदेश और एक अन्य (2014) 16 एस. सी. सी. 508:[2014] 12

एस**.** सी**.** आर**. 453;** अनिल कुमार यादव बनाम राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली**)**

और एक और (2018) 12 एससीसी 129:[2017] 11 एससीआर 195;

महिपाल बनाम राजेश कुमार उर्फ पोलिया और एक अन्य

(2020) 2 एससीसी 118:[2019] 14 एस. सी. आर. 529; जगजीत सिंह

और अन्य बनाम आशीष मिश्रा उपनाम मोनू और अन्य

(2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 453; सुश्री वाई. वी.राजस्थान राज्य और एक अन्य (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 458; सुश्री पी. वी.

मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य आपराधिक अपील

2022 का No.740 05.05.2022 पर तय किया गया; प्रकाश

कदम और अन्य बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता और

ग

एक और (2011) 6 एससीसी 189:[2011] 6 एससीआर 800; इमरान

बनाम मोहम्मद भव और एक अन्य **2022** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 496;** एश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह उर्फ लल्ला

बाबू एंड अदर **(2012) 9** एस**.** सी**.** सी**. 446:[2012] 7** एस**.** सी**.** आर**. 584;** पूरन बनाम रामबिलास **(2001) 6** एस**.** सी**.** सी**. 338:[2001] 3** एस**.** सी**.** आर**. 432-**संदर्भित।

डी.

निर्णीत विधि संदर्भ

[2002] 2 एससीआर **526**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

[2019] 14 एससीआर **529**

संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

ई.

[2010] 12 एससीआर **1165**

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

(2004) 7 एस**.** सी**.** सी**. 528**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20** और **30**

[2008] 6 एससीआर **1149**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

[2012] 3 एससीआर **278**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

च

[2014] 10 एससीआर **571**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

[2014] 12 एससीआर **453**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

[2017] 11 एससीआर **195**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

[2019] 14 एससीआर **529**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

जी.

[2011] 6 एससीआर **800**

संदर्भित किया गया है

पैरा **21**

[2014] 12 एससीआर **453**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

[2012] 7 एससीआर **584**

संदर्भित किया गया है

पैरा **26**

[2001] 3 एससीआर **432**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29** ए

एच.

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2022 की आपराधिक अपील संख्या 808।

2019 की अपील करने के लिए विशेष अनुमति (आपराधिक) संख्या 5102 के लिए याचिका का उद्गम।

2018 के आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 609 और 610 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 19.09.2018 से।

सुश्री आभा आर. शर्मा, अंकित मिश्रा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।संजय कुमार त्यागी, गौतम कुमार, प्रभात कुमार राय, अजय कुमार पांडे, श्रीमती रेवती राघवन, सुश्री दिव्या सिंघवी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

ग

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हिमा कोहली**,** जे**.**

1 . अनुमति प्रदान की गई.

डी.

2. यह अपील 19 सितंबर, 2018 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2018 के आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 609 में पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1 की धारा 439 के तहत दायर आवेदन को अनुमति दी गई थी और उसमें निर्धारित कुछ शर्तों के अधीन उसे जमानत पर बढ़ा दिया गया था।मूल शिकायतकर्ता, मृतक की पत्नी ने इस न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को प्राथमिकता दी है।

ई.

3. शुरू में, अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिकाएं दो प्रतिवादियों, शिवराज सिंह उर्फ लल्ला बाबू [प्रतिवादी संख्या 2] और सोनू [प्रतिवादी संख्या 3] के खिलाफ दायर की गई थीं।हालाँकि, 2 जुलाई, 2019 के एक आदेश द्वारा, प्रतिवादी संख्या 3 की याचिका को खारिज कर दिया गया था और दूसरे प्रतिवादी के संबंध में नोटिस जारी किया गया था, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि 20 दिसंबर, 2012 के फैसले के माध्यम से, इस न्यायालय द्वारा 2012 की आपराधिक अपील संख्या 1416 में पारित किया गया था, उक्त प्रतिवादी को दी गई जमानत रद्द कर दी गई थी।नतीजतन, अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (सी. आर. एल.) प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दायर 2019 की संख्या 5103 का निपटारा कर दिया गया।
4. श्रीमती द्वारा की गई शिकायत के आधार पर। मृतक की पत्नी मीना देवी, 2012 की एफ. आई. आर. संख्या 173, पी. एस. सिविल लाइन्स, जिला बदायूं में आई. पी. एस. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई थी।

च

जी.

एच.

1 संक्षेप में 'Cr.P.C'।

भारतीय दंड संहिता 2.अपीलार्थी/शिकायतकर्ता द्वारा यह कहा गया था कि जब वह और उसका पति, नारायण सिंह 16 जून, 2012 की शाम को बदायूं का दौरा करने के बाद मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे, जहां उन्हें प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ मुकदमे के लंबित मामले में अदालत में पेश होना था, तो पांच में से चार आरोपी व्यक्ति जीप में आए, उन्हें रोका और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर नारायण सिंह पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया।हालाँकि शिकायतकर्ता के भाई संजीव कुमार सिंह ने मृतक और उसकी पत्नी का पीछा कर रहे हरि सिंह के साथ उसे बचाने और जिला अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।शिकायतकर्ता ने कहा कि पक्षों के बीच विवाद एक स्कूल के स्वामित्व से संबंधित है, जिसका नाम है जनता जूनियर हाई स्कूल, मधुकर पुलिस स्टेशन, तहसील शाहबाद, जहां उनके पति हेडमास्टर के रूप में कार्यरत थे।इससे पहले, 13 दिसंबर, 2011 को आरोपी व्यक्तियों के उसी समूह ने उसके पति का आसफपुर रेलवे स्टेशन, फैजगंज, बेहाता से अपहरण कर लिया था।प्रत्यर्थी संख्या 2, जिसने उपरोक्त विद्यालय के स्वामित्व का दावा किया था, उक्त अपहरण में सहायक था।उक्त अपहरण से संबंधित एक मामला बदायूं की एक अदालत में विचाराधीन था, जहाँ मृतक मुख्य गवाह था।बदायूं में जेल में नजरबंदी के दौरान, प्रतिवादी संख्या 2 ने चार सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ साजिश रची थी और मृतक को खत्म करने की योजना बनाई थी, जिसके खिलाफ उसे अपहरण मामले में गवाह के रूप में अपने खिलाफ गवाही देने की शिकायत थी।

ग

डी.

ई.

5. 2012 की एफ़. आई. आर. No.173 में जाँच पूरी होने के बाद, प्रतिवादी नंबर 2 पर आई. पी. सी. की धारा 149 और 120 बी के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। उनके और सह-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ 3 जनवरी, 2014 को आरोप तय किए गए थे।मुकदमे के दौरान, प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर स्वीकार कर लिया गया।6 जनवरी, 2018 के सामान्य निर्णय के माध्यम से, सत्र न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को आई. पी. सी. की धारा 149 और 120 बी के साथ पठित धारा 242 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। प्रतिवादी संख्या 2 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 2 और तीन अन्य सह-अभियुक्तों को दी गई जमानत रद्द कर दी गई।

च

6. मृतक को गोली मारने के अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ साजिश रचने में प्रतिवादी संख्या 2 की भूमिका पर विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बदायूं द्वारा 6 जनवरी, 2018 को पारित निर्णय के पैरा 53 से 55 में विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें तीन चश्मदीद गवाहों की गवाही, अर्थात्:

जी.

एच.

2 संक्षेप में आई. पी. सी. ए.

29

मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[हिमा कोहली, जे।] ए.

P.W.-1, इसमें अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता, P.W.-2, संजीव कुमार सिंह (शिकायतकर्ता का भाई) और P.W.-3, हरि सिंह जो P.W.-2 के साथ थे, पर व्यापक रूप से विचार किया गया और यह देखा गया कि स्कूल के प्रबंधन से संबंधित मृतक और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच दुश्मनी का एक पिछला इतिहास था।मृतक ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ अपहरण के प्रयास की शिकायत भी दर्ज कराई थी।प्रतिवादी संख्या 2 ने मृतक के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 420,468,469 और 471 के

तहत एफ. आई. आर. संख्या 343/2003 भी दर्ज कराई थी और मृतक को उक्त मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था।निचली अदालत द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जेल से भेजे गए एक पत्र का भी संदर्भ दिया गया था, जिसमें मृतक को खत्म करने की धमकी दी गई थी।इस प्रकार पिछली दुर्भावना के कारण मृतक को खत्म करने का उद्देश्य प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ स्थापित किया गया था, जिसे अपराध में अन्य सह-अभियुक्तों के साथ इंगित किया गया था जो उससे निकट संबंध रखते थे।

ग

7. निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश से व्यथित, प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की, जो 2018 की आपराधिक अपील संख्या 609 और 610 के रूप में पंजीकृत थी।उक्त अपीलों के साथ, उनके द्वारा नियमित जमानत देने के लिए दायर किए गए आवेदन थे।विवादित आदेश में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई निम्नलिखित दलीलें दर्ज की हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

"अपीलार्थी के वकील का तर्क है कि अपीलार्थी मुकदमे के दौरान जमानत पर था और उसने उसे दी गई जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग या दुरुपयोग नहीं किया है।हालाँकि, उसका 28 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें वर्तमान दो मामले शामिल हैं जिन्हें अनुच्छेद 36 में समझाया गया है।आगे का तर्क यह है कि यदि अभियोजन पक्ष की कहानी को पूरी तरह से सच माना जाता है, तो अपीलार्थी को सौंपी गई एकमात्र भूमिका साजिश रचने की है।आगे का तर्क यह है कि साजिश की भूमिका भी घटना के तीन दिन बाद पत्र प्राप्त होने के बाद ही सौंपी गई है और वह भी एक फोटोस्टेट प्रति है।मूल पत्र में प्रकाश का दिन नहीं देखा गया है।मूल पत्र के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है।"

ई.

च

जी.

8. उक्त जमानत आवेदन का विद्वान वकील द्वारा जोरदार विरोध किया गया था जो इसमें अपीलार्थी/शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए और उच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता एक कठोर अपराधी है लेकिन वह विवाद नहीं करता है

एच.

तथ्य यह है कि अपीलार्थी को सौंपी गई एकमात्र भूमिका साजिश रचने की है और वह भी जेल से।अपीलार्थी को शिकायतकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों को धमकी देने के लिए उनसे संपर्क करने पर प्रतिबंध है।यदि शिकायतकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों को धमकी दी जाती है, तो शिकायतकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है।"

9. प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील और शिकायतकर्ता के वकील की दलीलों पर ध्यान देने और यह दर्ज करने के बाद कि राज्य के विद्वान वकील ने भी जमानत के अनुरोध का विरोध किया था, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी-शिवराज सिंह उर्फ लल्ला बाबू को आई. पी. सी. की धारा 30/149,120 बी, पुलिस स्टेट सिविल लाइन्स, जिला बदायूं के तहत 2012 के मामला अपराध संख्या 605 से उत्पन्न 2013 की एस. टी. संख्या 523 में दोषी ठहराया जाए और सजा सुनाई जाए, उसे संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो प्रतिभूतियों के साथ व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाए।"10. आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी/शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री आभा आर. शर्मा ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने और उसे जमानत देने के लिए कोई कारण देने में विफल रहा है; कि निचली अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत लाए गए हैं जो इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ेंगे कि अपीलार्थी के पति को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ रची गई साजिश के कारण दिन के उजाले में गोली मार दी गई थी, जो उसके निकट संबंधी थे, जब वह अभी भी जेल में था; कि मृतक को अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के हाथों छह आग्नेयास्त्र चोटें आई थीं जिन्होंने विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 2 के निर्देश पर काम किया था। 2 एक हिस्ट्रीशीटर है जो कई आपराधिक मामलों में शामिल है; कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी नं। 2 आई. पी. सी. की धारा 152 और आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत अपराध के लिए दोषी होने के नाते, उसे जमानत से राहत देने से इनकार करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री थी।अंत में, अपीलार्थी/शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने प्रतिवादी संख्या 2 और चार अन्य लोगों के खिलाफ पी. एस. शाहाबाद जिला रामपुर में दर्ज 2019 की एफ. आई. आर. की एक प्रति सौंपी, जिसमें कहा गया था कि उसने 24 नवंबर, 2019 को मामले के एक चश्मदीद गवाह हरि सिंह [पी. डब्ल्यू. 3] को धमकी दी थी, जब वह अपनी पत्नी के साथ स्थानीय बाजार जा रहा था और उसे मृत नारायण सिंह के अपहरण मामले में प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ पेश नहीं होने और गवाही नहीं देने की चेतावनी दी गई थी, जो कि मुकदमा लंबित था।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

31

मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[हिमा कोहली, जे।] ए.

क.

11. प्रत्यर्थी No.1-State ने विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपीलों का समर्थन करते हुए एक जवाबी हलफनामा और एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है।राज्य के विद्वान वकील श्री संजय कुमार त्यागी ने कहा है कि विवादित आदेश एक गुप्त और अस्थिर है क्योंकि उच्च न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और उस पर लगाए गए दंड की गंभीरता और इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी और अन्य चश्मदीद गवाहों के जीवन के लिए उचित आशंका है।विद्वान वकील ने प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ पी. एस. शाहबाद, जिला रामपुर में आई. पी. सी. की धारा 364 और 506 के तहत 2019 की एफ. आई. आर. संख्या 450 के तहत दर्ज एक मामले का संकेत दिया और कहा कि उक्त मामले में उनके द्वारा दायर जमानत याचिका को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बदायूं की अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान देते हुए खारिज कर दिया कि वह एक हिस्ट्रीशीटर है और कई आपराधिक मामलों में शामिल है।इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 का जमानत आवेदन संख्या 28461 दायर किया था और 26 अप्रैल, 2012 के आदेश के अनुसार, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।उपरोक्त आदेश से व्यथित, उक्त मामले में शिकायतकर्ता

एश मोहम्मद ने इस अदालत के समक्ष 2012 की आपराधिक अपील दायर की थी, जिसे 20 सितंबर, 2012 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी और प्रतिवादी संख्या 2 को दी गई जमानत को रद्द कर दिया गया था।

ग

डी.

12. उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज गंभीर प्रकृति के 25 आपराधिक मामलों के साथ जवाबी हलफनामे में वर्णित प्रतिवादी संख्या 2 की आपराधिक पृष्ठभूमि को विस्तार देते हुए प्रतिवादी संख्या 1-राज्य द्वारा 16 मार्च, 2022 के आदेश के संदर्भ में दायर अतिरिक्त हलफनामे के साथ, उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में उक्त प्रतिवादी के खिलाफ दर्ज 37 आपराधिक मामलों का एक सारणीबद्ध बयान दायर किया गया है।विद्वान राज्य के वकील ने इस प्रकार आग्रह किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में दी गई जमानत को तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए।

ई.

च

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री रेवती राघवन, यह कहते हुए विवादित आदेश का बचाव करना चाहती हैं कि यह उनकी बढ़ती उम्र और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है कि वह कई वृद्धावस्था की बीमारियों से पीड़ित हैं।उसने प्रस्तुत किया कि ऐसी कोई विशेष पर्यवेक्षण परिस्थितियाँ नहीं हैं जो प्रतिवादी संख्या 2 को दी गई जमानत को रद्द करने को उचित ठहराएँ, जिसने मुकदमे के दौरान पूरा सहयोग किया था।उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ दर्ज 37 आपराधिक मामलों की सूची में से,

जी.

एच.

प्रत्यर्थी संख्या 1-राज्य द्वारा प्रस्तुत, वह कई मामलों में बरी हो चुका है और कुछ पर अभी भी मुकदमा लंबित है और यह कि उसके पास लंबित अपील में भी गुण-दोष के आधार पर एक अच्छा मामला है जहां उसे विवादित आदेश के आधार पर जमानत का लाभ दिया गया है।इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया विवेकाधिकार किसी भी हस्तक्षेप के योग्य नहीं है।

14. हमने अपीलार्थी-शिकायतकर्ता, प्रतिवादी संख्या 1-राज्य और प्रतिवादी संख्या 2-अभियुक्त के लिए विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है और रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की है।

15. इस न्यायालय से यह निर्णय लेने के लिए कहा जाता है कि क्या उच्च न्यायालय ने मामले के दिए गए तथ्यों में प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में जमानत देने के लिए Cr.P.C की धारा 439 के तहत प्रदत्त शक्ति का सही उपयोग किया है।

ग

16. यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 439 Cr.P.C के तहत जमानत देने की शक्ति व्यापक है।फिर भी, कई न्यायिक फैसलों में इस बात पर लगातार जोर दिया गया है कि जमानत देने पर विचार करते समय न्यायालय में निहित उक्त विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए, न कि निश्चित रूप से।राम में

डी.

गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य **3,** एक खंड पीठ

इस न्यायालय ने जमानत देने की शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए थेः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

"3. जमानत देना हालांकि एक विवेकाधीन आदेश है-लेकिन, इस तरह के विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता है, न कि निश्चित रूप से।बिना किसी ठोस कारण के जमानत के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। हालाँकि, यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि जमानत की मंजूरी अदालत द्वारा निपटाए जा रहे मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर निर्भर करती है और तथ्य, हालांकि, हमेशा मामले से मामले में भिन्न होते हैं। अपराध की प्रकृति जमानत देने के लिए बुनियादी विचारों में से एक है-अपराध जितना अधिक जघन्य है, जमानत की अस्वीकृति की संभावना उतनी ही अधिक है, हालांकि, मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करता है।

च

जी.

4. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य जिन्हें प्रासंगिक विचार माना जा सकता है, इस मोड़ पर भी देखे जा सकते हैं, हालांकि, वे केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं, न ही कोई हो सकता है।विचार इस प्रकार हैः

3 (2002) 3 एससीसी 598, ए

एच.

33

मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[हिमा कोहली, जे।] ए.

(क) जमानत देते समय न्यायालय को न केवल आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा, बल्कि सजा की गंभीरता को भी ध्यान में रखना होगा, यदि आरोप में दोषसिद्धि और आरोपों के समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति शामिल है।

(ख) गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता के लिए खतरा होने की आशंका को भी जमानत देने के मामले में अदालत के साथ विचार करना चाहिए।(ग) यद्यपि अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने वाला पूरा साक्ष्य होने की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन आरोप के समर्थन में न्यायालय को हमेशा प्रथम दृष्टया संतुष्टि मिलनी चाहिए।

ग

(घ) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और यह केवल वास्तविकता का तत्व है जिस पर जमानत देने के मामले में विचार किया जाना चाहिए, और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, सामान्य घटनाओं में, अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है।"

डी.

17. उपरोक्त मानते हुए, न्यायालय ने जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता का आकलन करने के लिए बुलाए जाने पर मार्गदर्शक कारकों पर विचार किया और राय दी कि आम तौर पर, यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से परहेज करेगा, या तो किसी अभियुक्त को जमानत की राहत प्रदान करेगा या अस्वीकार करेगा।

हालाँकि, जहाँ भी यह देखा जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग उचित विवेक के बिना या इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन में किया गया है, ऐसा आदेश हस्तक्षेप के लिए अतिसंवेदनशील होगा।18. हाल ही में एक निर्णय में, हम में से एक (डॉ. डी. वाई.

ई.

चंद्रचूड़, जे.) महिपाल बनाम राजेश कुमार उर्फ पोलिया एंड

च

अन्य 4, एक मामला जहां अपराध आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत किया गया था, मुकदमा सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित था और प्रतिवादी द्वारा दायर जमानत आवेदन को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी, निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की गई हैं:

जी.

"12. जमानत देने के लिए कोई मामला उपयुक्त है या नहीं, इसके निर्धारण में कई कारकों का संतुलन शामिल है, जिनमें अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और आरोपी की संलिप्तता का प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।नहीं।

4 (2020) 2 एससीसी 118

एच.

34

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

जमानत के अनुदान या अस्वीकृति के लिए एक आवेदन का आकलन करने के लिए अदालतों के लिए स्ट्रैटजैकेट सूत्र मौजूद है। यह आकलन करने के चरण में कि क्या कोई मामला जमानत देने के लिए उपयुक्त है, अदालत को अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है।यह सुनवाई का विषय है।हालांकि, अदालत को यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि आरोपी ने अपराध किया था और इसमें शामिल विचारों के संतुलन पर, आरोपी की निरंतर हिरासत आपराधिक न्याय प्रणाली के उद्देश्य को कम करती है।जहाँ निचली अदालत द्वारा जमानत दी गई है, वहाँ एक अपीलीय अदालत को हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम लेना चाहिए और जमानत को रद्द करने की शक्ति के प्रयोग के लिए निर्धारित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

ग

XXX

14. अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने का प्रावधान किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छूता है।यही कारण है कि यह न्यायालय आम तौर पर जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है।हालाँकि, जहाँ जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय के विवेकाधिकार का उपयोग उचित विवेक के बिना या इस न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन में किया गया है, तो जमानत देने वाला ऐसा आदेश रद्द किया जा सकता है।न्यायालय को अन्य बातों के अलावा, प्रथम दृष्टया यह विचार रखने की आवश्यकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया था, अपराध की प्रकृति और गंभीरता और अभियुक्त द्वारा किसी भी तरह से मुकदमे की कार्यवाही में बाधा डालने या न्याय के मार्ग से बचने की संभावना।जमानत पर रिहा होने का प्रावधान न्याय के प्रशासन में सार्वजनिक हित और मामले के निर्णय तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के बीच एक उचित संतुलन बनाता है। हालाँकि, जमानत का अनुदान कानून की सीमाओं के भीतर और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन में सुरक्षित किया जाना है।यही कारण है कि एक अदालत को कई कारकों को संतुलित करना चाहिए जो मामले-दर-मामले के आधार पर

जमानत देने के लिए विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग का मार्गदर्शन करते हैं।इस निर्धारण में अंतर्निहित यह है कि क्या, अभिलेख के विश्लेषण पर, यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने का कोई प्रथम दृष्टया या उचित कारण है कि अभियुक्त ने अपराध किया था।इस स्तर पर न्यायालय के लिए यह प्रासंगिक नहीं है कि वह निर्णायक निष्कर्ष पर आने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य की विस्तार से जांच करे।"

डी.

ई.

च

जी.

एच.

35

मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[हिमा कोहली, जे।] ए.

क.

19. प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी और

अन्य 5, जहां आरोपी आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहा था और हालांकि उसके लगातार जमानत आवेदनों को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, उच्च न्यायालय ने उसे जमानत दे दी थी, जिसे इस अदालत की एक खंड पीठ ने दरकिनार कर दिया था, जमानत देते समय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का प्रतिपादन किया गया थाः

“9. .....यह सामान्य बात है कि यह न्यायालय आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है।तथापि, उच्च न्यायालय पर यह समान रूप से दायित्व है कि वह इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हुए विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अन्य परिस्थितियों के अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वे हैंः

ग

((i) क्या यह विश्वास करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था;

डी.

((ख) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

((iii) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता; (iv) जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा;

ई.

((v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, पद और स्थिति;

((vi) अपराध के दोहराये जाने की संभावना;

((vii) गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका; और

च

(viii) निश्चित रूप से, जमानत देने से न्याय के विफल होने का खतरा।"

20. कल्याण चंद्र सरकार बनाम कल्याण चंद्र सरकार सहित इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों में उपरोक्त सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है।

जी.

राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव और अन्य **6,** नरेंद्र के**.** अमीन **(**डॉ**.)** बनाम गुजरात राज्य और अन्य **7,** दीपक शुभाशचंद्र

5 (2010) 14 एससीसी 496 6 (2004) 7 एससीसी 528 7 (2008) 13 एससीसी 584

एच.

36 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 4 एस. सी. आर.

मेहता बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य **8,** अब्दुल बासित उर्फ राजू और अन्य बनाम मोहम्मद।अब्दुल कादिर चौधरी और अन्य **9,** नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **10,** अनिल कुमार यादव बनाम राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली**)** और अन्य **11,** महिपाल बनाम राजेश कुमार उर्फ पोलिया और अन्य **12,** और हाल ही में जगजीत सिंह और अन्य बनाम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और अन्य **13,** सुश्री वाई**.**राजस्थान राज्य और अन्य **14** और सुश्री पी**.** वी**.**मध्य प्रदेश राज्य और अन्य **15**।

21. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह रेखांकित किया जा सकता है कि जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता की जांच करने के लिए बुलाए जाने पर अपीलीय न्यायालय के साथ विचार करने वाले विचार जमानत रद्द करने के लिए दायर आवेदन की जांच करने के लिए समान आधार पर नहीं हैं।जमानत देने वाले आदेश की शुद्धता की जांच करने का पैमाना यह है कि क्या निचली अदालत ने अनुचित या मनमाने तरीके से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है जिससे उक्त आदेश दूषित हो गया है।जब जमानत रद्द करने की मांग करने वाले आवेदन का आकलन करने की बात आती है, तो अपीलीय न्यायालय अन्य बातों के अलावा, पर्यवेक्षण परिस्थितियों या उस व्यक्ति पर लगाए गए जमानत की शर्तों के किसी भी उल्लंघन पर ध्यान देता है जिसे ऐसी राहत दी गई है। इस संदर्भ में, हम प्रकाश कदम और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ के निर्णय का लाभप्रद रूप से उल्लेख कर सकते हैं।

ग

डी.

रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता और अन्य **16,** जहाँ यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

“18. जमानत रद्द करने पर विचार करते हुए अदालत को अपराध की गंभीरता और प्रकृति, अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले, अभियुक्त की स्थिति और स्थिति आदि पर भी विचार करना होगा। यदि अभियुक्त के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप हैं तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है, भले ही उसने उसे दी गई जमानत का दुरुपयोग न किया हो।इसके अलावा, उपरोक्त सिद्धांत तब लागू होता है जब जमानत देने वाली उसी अदालत से जमानत रद्द करने के लिए संपर्क किया जाता है।यह तब लागू नहीं होगा जब जमानत देने के आदेश के खिलाफ अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय में अपील की जाती है।

ई.

च

8 (2012) 4 एससीसी 134

9 (2014) 10 एस. सी. सी. 754

10 (2014) 16 एस. सी. सी. 508

जी.

11 (2018) 12 एस. सी. सी 129

12 (2020) 2 एससीसी 118

13 (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 453

14 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 458

15 2022 की आपराधिक अपील No.740 (एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न) 2022 का सं. 3564) 05.05.2022 पर तय किया गया।

16 (2011) 6 एससीसी 189 ए

एच.

37

मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[हिमा कोहली, जे।] ए.

19. हमारी राय में, ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि एक बार अभियुक्त को जमानत दिए जाने के बाद उसे केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब जमानत के दुरुपयोग की संभावना हो।यह कारक, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है, महत्वपूर्ण है, लेकिन एकमात्र कारक नहीं है।जमानत रद्द करने का निर्णय लेते समय कई अन्य कारक भी देखे जा सकते हैं।"

22. जमानत देने के लिए निर्देश देने वाले उपरोक्त सिद्धांत हैं -

नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **17** में पुनर्लिखित

निम्नलिखित शब्दः“12. हमने जमानत देते समय कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया है।यह कानून में अच्छी तरह से तय किया गया है कि जमानत देने के बाद इसे रद्द करना क्योंकि आरोपी ने खुद के साथ गलत व्यवहार किया है या कुछ पर्यवेक्षी परिस्थितियों में इस तरह के रद्द होने की आवश्यकता है, जमानत देने के आदेश से पूरी तरह से अलग है जो अन्यायपूर्ण, अवैध और विकृत है।यदि किसी मामले में, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय जिन प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए था, उन पर ध्यान नहीं दिया गया है, या जमानत अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है, तो निर्विवाद रूप से उच्च न्यायालय जमानत के इस तरह के अनुदान के आदेश को रद्द कर सकता है।ऐसा मामला एक अलग श्रेणी से संबंधित है और एक अलग दायरे में है।दूसरी प्रकृति के मामले पर विचार करते समय, न्यायालय अभियुक्त द्वारा शर्तों के उल्लंघन या बाद में हुई पर्यवेक्षण परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देता है।इसके विपरीत, यह न्यायालय द्वारा पारित आदेश की न्यायसंगतता और दृढ़ता पर प्रकाश डालता है।"

ग

डी.

ई.

23. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के हाल के एक फैसले में

इमरान बनाम मोहम्मद भव और अन्य **18** इस प्रकार आयोजित किए गए हैंः

च

23. वास्तव में, यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद इसे रद्द करने के लिए भारी परिस्थितियों की आवश्यकता होगी।हालांकि, इस अदालत ने विपन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य मामले में अपने फैसले में यह भी दोहराया है कि जबकि पारंपरिक रूप से, किसी आरोपी को जमानत देने के बाद निष्पक्ष सुनवाई में बाधा डालने वाली कुछ पर्यवेक्षी परिस्थितियां विकसित होनी चाहिए, एक उच्च अदालत द्वारा इसे रद्द करने के लिए, जमानत को भी एक उच्च अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है, जब कि जमानत देने वाली पिछली अदालत ने अनदेखी की है।

जी.

17 (2014) 16 एस. सी. सी. 508

18 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 496

एच.

अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री, अपराध की गंभीरता या इसका सामाजिक प्रभाव।यह इस प्रकार देखा गयाः—

"9. ..... परंपरागत रूप से, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो जमानत देने के बाद विकसित हो सकती हैं और निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं हैं, जिससे जमानत को रद्द करना आवश्यक हो जाता है।इस न्यायालय ने दौलत राम बनाम हरियाणा राज्य मामले में कहा किः

"प्रारंभिक चरण में गैर-जमानती मामले में जमानत की अस्वीकृति और इस तरह से दी गई जमानत को रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए और अलग-अलग आधार पर निपटा जाना चाहिए।पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ठोस और भारी परिस्थितियां आवश्यक हैं।आम तौर पर, जमानत रद्द करने के आधार, मोटे तौर पर (उदाहरणात्मक और संपूर्ण नहीं) हैंःन्याय प्रशासन के नियत क्रम में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास या चोरी या न्याय के नियत मार्ग से बचने का प्रयास या किसी भी तरह से अभियुक्त को दी गई रियायत का दुरुपयोग।अभियुक्त के फरार होने की संभावना के अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आधार पर अदालत की संतुष्टि जमानत रद्द करने को उचित ठहराने का एक और कारण है।हालांकि, एक बार दी गई जमानत को इस बात पर विचार किए बिना यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि क्या किसी भी पर्यवेक्षी परिस्थितियों ने मुकदमे के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेते हुए आरोपी को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देने के लिए इसे निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं बनाया है।"

ग

डी.

ई.

10. इन सिद्धांतों को बार-बार दोहराया गया है, हाल ही में इस न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा X बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य मामले में।

च

11. उद्धृत निर्णय (ओं) में दर्शाई गई चेतावनी के अलावा, जमानत को भी रद्द किया जा सकता है जहां अदालत ने अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया है या रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी की है जो जमानत देने के आदेश को कानूनी रूप से असमर्थनीय बनाता है।अपराध की गंभीरता, अभियुक्त का आचरण और जांच की सीमा पर होने पर न्यायालय द्वारा अनुचित संलिप्तता का सामाजिक प्रभाव भी कुछ स्थितियों में से हैं, जहां एक उच्च न्यायालय न्याय की विफलता को रोकने और आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन को मजबूत करने के लिए जमानत के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है।

जी.

एच.

39

मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[हिमा कोहली, जे।] ए.

क.

24. XXXXXX

25. XXXXXX

26. इस प्रकार, निचली अदालत द्वारा पहले से दी गई जमानत को रद्द करने पर विचार करते समय, वास्तव में उच्च न्यायालय के कहने पर महत्वपूर्ण जांच की आवश्यकता होगी, हालांकि, जमानत दिए जाने पर हमेशा रद्द की जा सकती है यदि रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री, अपराध की गंभीरता या इसके सामाजिक प्रभाव पर निचली अदालत द्वारा विचार नहीं किया गया है।ऐसे मामलों में, जहां जमानत यांत्रिक तरीके से दी जाती है, जमानत देने का आदेश दरकिनार किया जा सकता है।इसके अलावा, ऊपर दिए गए निर्णय कुछ बुनियादी सिद्धांतों को सूचीबद्ध करते हैं जिन्हें जमानत देने के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।इस प्रकार, जबकि प्रत्येक मामले का अपना विशिष्ट तथ्यात्मक मैट्रिक्स होता है, जो जमानत मामलों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जमानत देने का उपयोग उपरोक्त सुविचारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भी किया जाना चाहिए।

ग

डी.

24. हाथ में मामले पर वापस आते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश पर एक नज़र कम से कम, गूढ़ और गैर-बोलने वाला कहना है, जो मन के गैर-अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है।ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी/शिकायतकर्ता और राज्य के वकील के विद्वान वकील द्वारा की गई आम दलीलों पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 एक कठोर अपराधी है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।प्रत्यर्थी संख्या 1-राज्य द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ दर्ज मामलों की एक सूची है जो बताती है कि उसने आई. पी. सी., शस्त्र अधिनियम, 1959, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986, यू. पी. गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, आदि के तहत दर्ज निम्नलिखित सैंतीस मामलों में मुकदमे का सामना किया है/कर रहा है, जहां अपराध गंभीर प्रकृति के हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

च

जी.

एच.

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

23	187/88 पी. एस. शाहबाद	रामपुर	-करो -	3(1) गैंगस्टर एक्ट	A.D.J.-5	बरी
24	485/94 पी. एस. शाहबाद	रामपुर	-करो -	147/148/324/504/506 आई. पी. सी. और 3 (1) 10 एस. एस. टी. अधिनियम	एडीजे-2	बरी
25	158/97 पी. एस. शाहबाद	रामपुर	-करो -	3(1) गुंडा अधिनियम	ए डी एम	ब
26	345/99 पी. एस. शाहबाद	रामपुर	-करो -	147/148/149/325/307 आईपीसी	जे. एम	अंति
27	169/10 पी. एस. शाहबाद	रामपुर	-करो -	147/323/504/506 आईपीसी	जे. एम	बरी
28	841/11 पी. एस. शाहबाद	रामपुर	-करो -	307/326 आईपीसी	जे. एम	अंति
29	507/11 पी. एस. शाहबाद	रामपुर	-करो -	147/506 आईपीसी	जे. एम	बरी
30	623/05 पी. एस. शाहबाद	रामपुर	-करो -	302 आईपीसी	ए. डी. जे-1	आजीव
31	380/19 पी. एस. शाहबाद	रामपुर	-करो -	364/323/504/506 आईपीसी	A.C.J.M.-2	अपराध के लि
32	450/19 पी. एस. शाहबाद	रामपुर	-करो -	147/148/341/279/338/504/307/506 आईपीसी	A.C.J.M.-2	अपराध के लि
33	499/19 पी. एस. शाहबाद	रामपुर	-करो -	147/148/307/506 आईपीसी	A.C.J.M.-2	जांच
34	1031/2009 पी. एस. शाहबाद	रामपुर	राज्य बनाम मुन्ना लाल और अन्य।	147/148/149/323/283/ 7- अधिनियम	A.C.J.M.-2 जिला रामपुर	मुकदम
35	3633/2016 पी. एस. शाहबाद	रामपुर	राज्य बनाम शिवराज सिंह	420/467/468 आईपीसी	A.C.J.M.-2	मुकदम
36	232/2012 पी. एस. शाहबाद	रामपुर	-राज्य बनाम. बजराज सिंह	3(1) गैंगस्टर एक्ट	ए. एस. जे. गैंगस्टर रामपुर	मुकदम
37	195/2021 पी. एस. शाहबाद	रामपुर	राज्य बनाम सोनू और अन्य।	304/120-8 आईपीसी	विशेष न्यायाधीश/S.C.S	मुकदम

					.T. रामपुर	

क.

ग

डी.

ई.

च

25. भले ही कोई प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ दर्ज मामलों की उपरोक्त सूची में से अठारह मामलों की अनदेखी करता है, लेकिन तथ्य यह है कि वह शेष मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है।

जी.

26. ऐसे ही एक मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 364 और 506 के तहत अपराधों के लिए दर्ज 2011 की आपराधिक अपील के विषय में, उनके द्वारा दायर जमानत याचिका को रामपुर के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था।जब उत्तरदाता

एच.

नं. 2 ने Cr.P.C की धारा 439 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष इसी तरह का आवेदन दायर किया, जिसकी अनुमति 26 जुलाई, 2012 के आदेश के माध्यम से दी गई थी।उक्त आदेश से व्यथित होकर, उसमें शिकायतकर्ता, एश मोहम्मद ने 2012 की आपराधिक अपील के रूप में पंजीकृत इस अदालत के समक्ष एक अपील दायर की।कई अपराधों में प्रतिवादी संख्या 2 की संलिप्तता को ध्यान में रखने के बाद, अनुच्छेद 27 में विधिवत निकाला गया

और अन्य 19, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत देने के आदेश के औचित्य पर सवाल उठाया था, और विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया था।पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

ग

"30. हम उपयोगी रूप से कह सकते हैं कि जब नागरिक शांतिपूर्ण जीवन जीने से डरते हैं और इस तरह के अपराध व्यवस्थित समाज की स्थापना में बाधा डालते हैं, तो अदालत का कर्तव्य अधिक स्पष्ट हो जाता है और बोझ भारी हो जाता है।आपराधिक पृष्ठभूमि/इतिहास का उचित विश्लेषण किया जाना चाहिए था।कहने की जरूरत नहीं है कि शर्तों को लागू करना एक अभियुक्त को जमानत पर स्वीकार करने के आदेश के बाद है।यह सवाल उठाया जाना चाहिए कि क्या अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार है या नहीं और उसके बाद ही शर्तों को लागू करने का मुद्दा उत्पन्न होगा।हम एक पल के लिए भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि हिरासत की अवधि एक सुसंगत कारक है, लेकिन साथ ही साथ परिस्थितियों और आपराधिक पृष्ठभूमि की समग्रता पर भी विचार किया जाना चाहिए।उन्हें सामूहिक रोदन और इच्छा के पैमाने पर तौला जाना चाहिए।व्यक्तिगत स्वतंत्रता

के साथ-साथ सामाजिक सरोकार को भी ध्यान में रखना होगा।उक्त पैरामीटर के संबंध में हम यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि इस मामले में सामाजिक चिंता को अभियुक्त की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हटाने पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"

डी.

ई.

च

27. यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले दशक में प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ छह और मामले दर्ज किए गए हैं, जैसा कि एश मोहम्मद (उपरोक्त) के मामले में आदेश का हिस्सा बनने वाली सूची की तुलना ऊपर निकाली गई वर्तमान सूची से स्पष्ट होगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यर्थी द्वारा इस न्यायालय को दी गई सूची में उन ग्यारह मामलों का उल्लेख नहीं है जिनका उल्लेख प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ लंबित मामलों की सूची में किया गया था और जो अश मोहम्मद (उपरोक्त) में पारित आदेश के पैरा 27 में क्रम संख्या 4,12,17 और 23 से 30 में निकाले गए थे।यदि उक्त मामलों को वर्तमान में जोड़ा जाता है

जी.

19 (2012) 9 एससीसी 446 ए

एच.

43

मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[हिमा कोहली, जे।] ए.

प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ दर्ज सैंतीस आपराधिक मामलों की सूची, उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की संख्या बढ़कर पचास हो जाएगी।

28. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, हम यह देखने के लिए मजबूर हैं कि उच्च न्यायालय जमानत पर प्रतिवादी संख्या 2 का विस्तार करने का आदेश पारित करने से पहले प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने में विफल रहा है।इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय ने कथित प्रतिवादी के पक्ष में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई अच्छा, बुरा या उदासीन कारण नहीं देकर गंभीर गलती की है।ऐसे किसी विशेष तत्व का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है जिसने उच्च न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत देने वाले विवादित आदेश को पारित करने के लिए राजी किया हो।अभियुक्त और शिकायतकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों को यांत्रिक रूप से दर्ज करना और राज्य के विद्वान वकील के विरोध को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद "उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए" शब्दों के साथ आदेश के ऑपरेटिव पैरा को पूर्व-निर्धारित करके प्रतिवादी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने के लिए आगे बढ़ना, शायद ही अदालत द्वारा न्यायिक दिमाग के आवेदन को प्रतिबिंबित कर सकता है।एक अपीलीय न्यायालय के रूप में, हम जमानत पर प्रत्यर्थी संख्या 2 को बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय के साथ वजन बढ़ाने वाले कारकों को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

ग

डी.

29. पूरन बनाम रामबिलास **20** में एक अनुचित आदेश में मनमानेपन की बुराई की ओर इशारा करते हुए**,** इस न्यायालय ने कहा किः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

“8. ...कारण देना गुण या दोष पर चर्चा करने से अलग है।जमानत देने के चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच और मामले के गुण-दोष का विस्तृत प्रलेखन नहीं किया जाना है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 1 के आदेश में जो किया वह साक्ष्य के गुण और दोषों पर चर्चा करने के लिए था।यही नापसंद किया गया था।इसका मतलब यह नहीं था कि जमानत देते समय प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि जमानत क्यों दी जा रही थी, कुछ कारणों का संकेत देने की आवश्यकता नहीं थी।"

ई.

च

30. कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ पप्पु

यादव और अन्य 21 इस न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी किः- "11. जमानत देने या अस्वीकार करने के संबंध में कानून बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है।जमानत देने वाली अदालत को अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए न कि निश्चित रूप से।यद्यपि जमानत देने के चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच और

जी.

20 (2001) 6 एससीसी 338 21 (2004) 7 एससीसी 528

एच.

मामले की योग्यता का विस्तृत प्रलेखन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आदेशों में प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के कारणों को इंगित करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही थी, विशेष रूप से जहां आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया है।इस तरह के कारणों से रहित कोई भी आदेश मन के गैर-अनुप्रयोग से पीड़ित होगा।जमानत देने वाली अदालत के लिए यह भी आवश्यक है कि वह जमानत देने से पहले अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करे; वे हैंः

(क) आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति।

(ख) गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका।

ग

(ग) आरोप के समर्थन में न्यायालय को प्रथम दृष्टया संतुष्टि।"31. उपरोक्त निर्णय का हवाला देते हुए, महिपाल (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने गैर-जमानती प्रकृति के अपराधों में जमानत देने के कारणों को निम्नलिखित शब्दों में दर्ज करने की आवश्यकता पर जोर दिया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

"25. केवल "अभिलेख का अवलोकन करना" और "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर" दर्ज करना एक तर्कपूर्ण न्यायिक आदेश के उद्देश्य को कम नहीं करता है।यह खुले न्याय का एक मौलिक आधार है, जिसके लिए हमारी न्यायिक प्रणाली प्रतिबद्ध है, कि जिन कारकों ने न्यायाधीश के दिमाग में अस्वीकृति या जमानत देने में वजन डाला है, उन्हें पारित आदेश में दर्ज किया जाता है।खुला न्याय इस धारणा पर आधारित है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से और निस्संदेह किया जाता देखा जाना चाहिए।न्यायधीशों का कर्तव्य है कि वे इस प्रतिबद्धता के केंद्र में तर्कपूर्ण निर्णय दें।जमानत देने के सवाल आपराधिक अभियोजन से गुजरने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने में आपराधिक न्याय प्रणाली के हितों से संबंधित हैं कि अपराध करने वालों को न्याय में बाधा डालने का अवसर न दिया जाए।न्यायाधीशों का कर्तव्य है कि वे इस बात की व्याख्या करें कि वे किस आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।"

ई.

च

जी.

32. तत्काल मामले में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत किए गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए, जिसके लिए उसे निचली अदालत ने दोषी ठहराया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और यह देखते हुए कि उसके द्वारा की गई हिरासत की अवधि केवल नौ महीने के लिए है और इसके अलावा, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, हमें ए को रद्द करने और रद्द करने में कोई संकोच नहीं है।

एच.

45

मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[हिमा कोहली, जे।]

19 सितंबर, 2018 का विवादित आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया।प्रतिवादी संख्या 2 के जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं और उसे तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।33. मामला छोड़ने से पहले, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान निर्णय को सत्र न्यायालय द्वारा पारित 6 जनवरी, 2018 के फैसले के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर अपील के गुण-दोष पर एक अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा, जो उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश प्रतिवादी संख्या 2 को बाद के चरण में जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करने से भी नहीं रोकेगा, यदि कोई नई परिस्थितियाँ सामने आती हैं।

34. इस फैसले की एक प्रति उच्च न्यायालय और संबंधित पुलिस स्टेशन को अवलोकन और अनुपालन के लिए भेजी जाएगी।

ग

निधि जैन

अपील का निपटारा किया गया।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

डी.

ई.

च

जी.

एच.